न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 18/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– श्रीमती देवी पत्नी स्व. श्यामलाल जी परिहार जाति नाई, निवासी 989, खुड़ाला हाउस, अजय चौक, जोधपुर हाल निवासी खीवसर की हवेली, बागर मोहल्ला, अजय चौक, जोधपुर।		1– राजेन्द्र कुमार परिहार पुत्र स्व. श्यामलाल जी परिहार 2– श्रीमती सरोज परिहार पत्नी राजेन्द्र कुमार परिहार जाति नाई निवासीयान– खुड़ाला हाउस, अजय चौक, जोधपुर।

• अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.09.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी,) जोधपुर उत्तर द्वारा प्रकरण सं0 15/2022 श्रीमती देवी बनाम राजेन्द्र कुमार परिहार व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीया स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 स्वयं

आदेश दिनांक 25.07.2023

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/प्राथीनी की ओर से अधिकरण (उपखण्ड अधिकरण) जोधपुर, उत्तर के समक्ष प्रार्थना पत्र अ/धा 4, 5(क) सपठित धारा 23 व 24, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् खुडाला हाउस, अजय चौक जोधपुर स्थित म.नं. 989 स्वअर्जित आये से खरीद की गई जायदाद से अप्रार्थीगण/ प्रत्यर्थीगण राजेन्द्र कुमार व श्रीमती सरोज (पुत्र व पुत्रवधु) को बेदखल करने का प्रस्तुत हुआ। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण द्वारा उक्त जायदाद को लेकर उभय पक्षकारान के मध्य पारिवारिक सम्पति को लेकर विवाद उत्पन्न होना माना तथा पारिवारिक संपति का विवाद अधिकरण द्वारा निपटारा नहीं किया जाकर सक्षम न्यायालय द्वारा करने से

प्रार्थना पत्र निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई।

अपील दर्ज (18/2022) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष 1 व 2 दिनांक 22.12.2022 को उपस्थित हुए। अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित बहस पेश हुई, जो सामिल पत्रावली की गई।

अपीलार्थीया ने बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, श्यामलाल जी के पक्ष में हुए बेचाननामा व अपीलार्थीया के पक्ष में श्यामलाल जी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा को स्वीकार करने, विद्युत कनेक्शन के दस्तावेज को बिना देखे एवं उन पर फाईडिंग दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी राजेन्द्र कुमार व सरोज ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब पेश किया, जबाब के पद सं0 4 में पक्ति सं.–12 में राजेन्द्र कुमार व सरोज ने स्वीकार किया " राजेन्द्र कुमार व अप्रार्थी–2 सरोज परिहार आज भी प्रार्थीया की सेवा करने को नम्रता से तैयार है आज कोर्ट से भी प्रार्थीया को ले जाने को स्वच्छा से तैयार है " इसी प्रकार रेस्पो. ने पंक्ति सं.–17 में स्वीकार किया " अगर आज भी खुडाला हाउस अजय चौक मकान में आना चाहिए तो हम प्रार्थीया श्रीमती देवी की सेवा करने को तैयार है। " उक्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने में महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थीया की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रदान किया न्यायिक निर्णय पेश किया जिसमें प्रार्थीया जैसे मामले में पुत्र व पुत्रवधु को वृद्ध माता पिता की जायदाद से इसी कानून के तहत बेदखल करने का आदेश प्रदान किया, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पर कोई टिप्पणी किये बिना आदेश प्रदान किया, जिस कारण प्रार्थीया की अपील स्वीकार योग्य है। लिखित बहस में यह भी कहा कि स्वयं रेस्पो.पक्ष ने उक्त जायदाद में बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अनुमति मांगी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त जायदाद की मालिक प्रार्थीया है और प्रार्थीया को मालिक मानकर प्रार्थीया के वसीयतनामा को पेश कर स्वयं राजन्द्र कुमार ने विद्युत कनेक्शन लिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया की ओर से प्रत्यर्थीपक्ष के विरूद्ध 107 सीआरपीसी की कार्यवाही की प्रतियां भी पत्रावली में मौजूद थी। 107 सीआरपीसी की कार्यवाही में रेस्पो.पक्ष ने अपीलार्थीया/प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट कर प्रार्थीया का सामान जबरदस्ती के सड़क पर फेंक दिया जिसमें फोटोग्राफ्स भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये उन पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी कोई फाईडिंग नहीं दी। बहस में आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा वृद्ध माता पिता के संरक्षण व सुरक्षा हेतु बनाया गया तथा धारा 23 में स्पष्ट प्रावधान दिये कि वृद्ध माता पिता को उनकी संताने यदि परेशान करे और उनके शरीर व सम्पति को नुकशान कारित करे तो ऐसे माता पिता संतानों के विरूद्ध धारा 23 के तहत वेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। बहस के अन्त में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट पीटीशन सं0 6089/2019 .निर्णय दिनांक 07.04.2022, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन

सिविल 2761/2020 व 2795/2022 निर्णय दिनांक 13.03.2020 में न्याय निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए अपील स्वीकार करने एवं रेस्पो.पक्ष को बेदखल करने का आदेश करने की इस्तदुआ की।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि अधीनस्थ अधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह फाईडिंग दी है कि दोनों पक्षों के मध्य पारिवारिक सम्पति को लेकर विवाद है जिसको सुनने के लिए अधिकरण सक्षम नहीं है। अपीलार्थीया ने भरण पोषण अधिकरण में मात्र अप्रार्थीगण को 989 खुडाला हाउस, अजय चौक जोधपुर में स्थित रहवासी मकान खाली कब्जा कर सुपुर्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, न कि भरण पोषण प्राप्त करने हेतु कोई अनुतोष चाहा गया, न ही ऐसा कोई अनुतोष चाहा गया है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करे। आगे कहा कि अपीलार्थीया ने मात्र मकान का कब्जा चाहा है, उक्त अनुतोष न तो अधिकरण दे सकता है, न ही अधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। अपीलार्थीया जिस मकान का अनुतोष चाहा है उसमें निवास नहीं करती। जब अपीलार्थीया उपरोक्त विवादग्रस्त मकान में निवास ही नहीं करती है तो चाहा गया अनुतोष कतई प्राप्त नहीं कर सकती है।

बहस में यह भी कहा कि जब अपीलार्थीया/प्रार्थीया स्वयं स्वीकार करती है कि 14.02.2022 को अपने छोटे पुत्र मनोज कुमार को जरिये वसीयत उक्त मकान का उप पजीयंक कार्यालय में रजिस्टर्ड करा दी है तो अपीलार्थी के पास उक्त मकान बाबत् कोई अधिकार सर्जित नहीं होते है। अपीलार्थी अपने छोटे पुत्र मनोज के बहकावे में आकर अवैध रूप से अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहती है जबकि अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र एवं साक्षीय से साबित किया है कि उपरोक्त जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति है और अप्रार्थी–एक राजेन्द्र कुमार के दादा स्व. हरीरामजी अपने जीवनकाल में अपने पुत्र स्व. श्यामलालजी के नाम से मकान खरीदा था। स्व. श्यामलालजी को अपीलार्थी के नाम से वसीयत करने का कतई अधिकार नहीं है। बहस में आगे कहा कि कानून वैसे भी वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया को उपरोक्त मकान बाबत् कोई हक हिस्सा अधिकार सर्जित नहीं होता है, वसीयत के आधार पर कानून मालिकाना हक की घोषणा करवाना अनिवार्य है इस आधार पर भी अपील निरस्त योग्य है। बहस में यह भी कहा कि उक्त अधिनियम के तहत अधिकरण को बेदखल करने का कतई अधिकार नहीं है जहां दोनों पक्षकारों के बीच सिविल विवाद हो इस बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किये है इस आधार पर भी अपील निरस्त योग्य होना बताया गया। बहय में यह भी कहा कि अप्रार्थीगण ने अधिकरण के समक्ष अपने जबाब एवं शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि अपीलार्थीया/प्रार्थीया को रहने हेतु तल मंजिल में एक कमरा देने को तैयार है तथा सेवा चाकरी भी करने को तैयार है। बहस के समर्थन में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन नं0 1936/2022 विनोद शर्मा बनाम शांतिदेवी व अन्य निर्णय दिनांक 21.02.2022 में पारित न्याय निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए अपील निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि प्रार्थीया को म.नं. 989 खुडाला हाउस, अजय चौक जोधपुर उसके पति स्व. श्यामलाल द्वारा जारी कथित वसीयतनामा

से प्राप्त हुआ तथा उसी वसीयतनामा के आधार पर अपीलार्थीया/प्रार्थीया ने आगे अपने छोटे पुत्र मनोज कुमार के पक्ष में दिनांक 14.02.2022 को रजिसटर्ड वसीयत कर चुकी है जबकि प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण का कथन है कि स्व. श्यामलाल द्वारा उक्त कथित वसीयत नहीं की जा सकती है क्योंकि यह हिन्दू संयुक्त सम्पति है। अपीलार्थीया के कथनानुसार उसके स्वयं का नाम का खरीदसुदा अन्य मकान भी खींवसर की हवेली, बागर मोहल्ला, अजयचौक जोधपुर में आया हुआ है तथा वर्तमान में अपने खरीदसुदा मकान में छोटे पुत्र मनोज कुमार के साथ निवास कर रही है तथा अप्रार्थीगण को म.नं. 989, खुडाला हाउस, अजय चौक जोधपुर वाले मकान से स्थानान्तरण होकर प्रार्थीया के स्वयं का खरीदसुदा गकान खींवसर की हवेली, बागर मोहल्ला अजयचोक जोधपुर में निवास करने का आगृह किया गया। उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया की सम्पति की सुरक्षा को लेकर विवाद नहीं होकर परिवार सदस्यों के मध्य सम्पति का बंटवारा का विवाद ही है तथा अपीलार्थीया भरण पोषण अधिनियम, 2007 के जरिये प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण को बेदचखली कराना चाहती है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीगण की यह स्वीकारोक्ति भी है कि अपीलार्थीया/प्रार्थीया को रहने हेतु तल मंजिल में एक कमरा देने को तैयार है तथा सेवा चाकरी भी करने को तैयार है। अपीलार्थीया की ओर से एस.बी.सिविल रिट याचिका सं0 6089/2019 के निर्णय दिनांक 07.04.2022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ने वृद्ध माता पिता धारा 23 व 24, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत संतान को जायदाद से बेदखल करने का आदेश प्राप्त कर सकते है, अभिनिर्धारित किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 1936/2022 निर्णय दिनांक 21.02.2022 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण को जायदाद से बेदखली करने का आदेश देने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जा) जोधपुर, उत्तर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 21.09.2022 में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है,, परिणामस्वरूप अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश प्रति के सथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 25.07.2023 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।